संख्या-32/2019/471/26-3-2019

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 31 जनवरी 2019

विषयः- **मा0 लोकायुक्त कार्यालय में लम्बित परिवाद संख्या-148/209 प्रतिवादिनी सुश्री निष्ठा पुत्री श्री रामकुमार, श्रीराम स्वरूप मेमोरियल कालेज आफ इन्जीनियरिंग, लखनऊ की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान की अनुमति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-2123/स.क./शिक्षा-अ/कोड-2/ लो0आ0/2018-19, दिनाक-12.09.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त मा0 लोकायुक्त में लम्बित परिवाद में प्रतिवादिनी सुश्री निष्ठा पुत्री श्री रामकुमार, श्रीराम स्वरूप मेमोरियल कालेज आफ इन्जीनियरिंग, लखनऊ की वर्ष 2008-09 की लम्बित छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि **रू0-3300/-(रू0-तीन हजार तीन सौ मात्र)** की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि, जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी थी, से भुगतान की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

पृ.संख्या-32/2019/471(1)/26-3-2019 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. मा0 लोकायुक्त, कार्यालय, उ0प्र0, मा ॅल एवेन्यू, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु साचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।